

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नेक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/Estt./F-2/06/2018/Vol.XI/ 786

Date: 08/09/2023

NOTIFICATION - 106 /2023

CORRIGENDUM

With reference to Notification No. 104/2023 dated 04.09.2023 regarding the walk-in-interview for Guest Faculty scheduled for 11th and 12th September, 2023, Clause (h) of the notification is hereby deleted.

This is issued with the approval of the Vice-Chancellor.

Grace
08/09/2023
(Grace D. Chankapa)
Deputy Registrar (Estt.)

Distribution:

1. P. S. to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. P. S. to Registrar
3. Finance Officer
4. All Deans of Schools of Study
5. All HoD's / In-Charge of Departments mentioned above
6. System Analyst - for necessary upload in the website
7. Office Copy
8. Guard File
9. All Notice Boards

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/Estt./F-2/06/2018/Vol.XI/ 786

दिनांक : 08/09/2023

अधिसूचना - 106 /2023

शुद्धिपत्र

अतिथि संकाय के लिए दिनांक 11 और 12 सितंबर, 2023 को निर्धारित प्रवेश साक्षात्कार के संबंध में अधिसूचित अधिसूचना संख्या 104/2023 दिनांक 04.09.2023 के संदर्भ में, एतद्वारा अधिसूचना के खंड (एच) को हटा दिया गया है।

यह कुलपति के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(प्रेस. डी. चेंकापा)

उप कुलसचिव (स्थापना)

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
5. उपर्युक्त सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी
6. सिस्टम एनालिस्ट - वेबसाइट में आवश्यक अपलोड करने हेतु
7. कार्यालय प्रति
8. सुरक्षा फ़ाइल
9. सभी सूचना पट्ट